(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEVELOPMENT DEPARTMENT)
DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING
49, SHAM NATH MARG, DELHI – 110054.

Dated: 22.09.2014

NOTIFICATION

No. 8(41)/2014/DAM/MR/2156 . - In exercise of the powers conferred by section 116 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act No. 07 of 1999), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules to amend the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) General Rules, 2000, namely :-

1. **Short title and Commencement.** – (1) These rules may be called the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) General (Amendment) Rules, 2014.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Amendment of rule 17. - In the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) General Rules, 2000, in rule 17, in sub rule (1), clause (f) shall be omitted.

By order and in the name of Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

22.9.14

(V. P. RAO)
SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT)
GOVT. OF NCT OF DELHI

No. 8 (41)/2014/DAM/MR/2157-2169 Dated:22.09.2014

Copy to:-

1. The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi.
2. The Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad.
3. The Principal Secretary to Lt. Governor, Delhi
4. The Principal Secretary (Development), Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi.
5. The Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
6. The Chairman/Vice-Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, Delhi through Secretary Delhi Agricultural Marketing Board.
7. The Dy. Secretary (GAD), General Administration Deptt. Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Extra-Ordinary Gazette, Part-IV and copies of the same may be arranged for this office (two copies).
8. Agricultural Produce Marketing Committee, MNI, Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur and Shahdara (Fruit & Vegetable Market Gazipur), Delhi/New Delhi and Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur, Delhi, Khoya/Mawa Marketing Committee, Delhi and Flower Marketing Committee, Delhi.
9. The Dy. Secretary, Law Department, Govt. of NCT of Delhi.
10. The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi.
11. The Director, Directorate of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
12. All the Members of the concerned Marketing Committee through Secretary of the concerned Marketing Committee.
13. Guard file.

22.9.14

(V. P. RAO)
SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT)
GOVT. OF NCT OF DELHI

(दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
कृषि विपणन निदेशालय
(विकास विभाग)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
49, शामनाथ मार्ग, दिल्ली–54.

दिनांक :22.09.2014

अधिसूचना

सं0 एफ.8(41)/2014/डीएएम/एम आर/2156 .– दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (1999 के दिल्ली अधिनियम सं0–07) की धारा 116 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) सामान्य नियम, 2000 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:– (1) ये नियम दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) सामान्य (संशोधन) नियम, 2014 कहलायेंगे।

   (2) ये दिल्ली गजट में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. नियम 17 का संशोधन:– दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) सामान्य नियम, 2000 के नियम 17, के उप नियम (1) के खण्ड (च) को हटाया जायेगा।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

22.8.14

(वी. पी. राव)
विशेष सचिव (विकास)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

सं0 एफ. 8 (41)/2014/डीएएम/एम आर/2157-2169 दिनांक:22.09.2014

प्रतिलिपिः—

1 सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2 कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.4, फरीदाबाद (हरियाणा)।

3 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।

4 प्रधान सचिव (विकास), दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डरहिल रोड, दिल्ली।

5 स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।

6 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।

7 उप–सचिव (सा.प्र.वि.), सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग–4 में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए (दो प्रति).

8 कृषि उत्पाद विपणन समिति (राश्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, के ोपुर और शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी गाजीपुर), दिल्ली/नई दिल्ली और मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली, खोया/मावा विपणन समिति, दिल्ली एवम पुष्प विपणन समिति, दिल्ली।

9 उप–सचिव, विधि विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।

10 हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।

11 निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली।

12 संबंधित विपणन समिति के सभी सदस्यों को सम्बन्धित विपणन समिति के सचिव के माध्यम से।

13 गार्ड फाईल।

22.9.14

(वी. पी. राव)
विशेष सचिव (विकास)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार